संलग्नक-2

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम सडक योजना, पुरोला के पत्र संख्या 781/पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0 दिनांक 06 अगस्त 2020 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गुन्दियाटगॉव-रामा मोटर मार्ग के कि0मी0 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.536 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/187/2019/एफ0सी0/719 दिनांक 24 जुलाई 2020 के द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए 4.536 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 02 गुनी सिविल सोयम भूमि ग्राम छमरोटा तहसील पुरोला मध्ये खसरा संख्या 2368 रक्बा 9.072 है0 हस्तांतरण का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, पुरोला द्वारा अपने पत्र संख्या 615/र0का0/वृक्षा0रो0 पत्रा0/2018-19 दिनांक 24 जुलाई 2018 जो उप जिलाधिकारी, पुरोला के माध्यम से संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है। तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, पुरोला की आख्यानुसार गुन्दियाटगॉव-रामागॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 01 से स्यालुका तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु तहसील पुरोला के ग्राम छमरोटा मध्ये खसरा संख्या 2368 म./9.072 है0 भूमि प्रस्तावित की गयी है। उक्त भूमि उपरोक्त मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतु उपयुक्त पायी गयी है।

शासनादेश सं0 शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिले के भीतर जिलाधिकारियों को एवं अतर्जनपदीय मामलो में सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधायित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

अतः तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, पुरोला से प्राप्त आख्यानुसार गुन्दियाटगॉव-रामागॉव मोटर मार्ग के कि0मी0 01 से स्यालुका तक मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित भूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 02 गुनी वन भूमि तहसील पुरोला के ग्राम छमरोटा मध्ये उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9(3)ड. में दर्ज के खसरा सं0 संख्या 2368 म./9.072 है0 भूमि को राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट को हस्तान्तरित/नामान्तरित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

ह0/-
(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 7918 / आठ-27 (2016-17) दिनांक 25 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी, बड़कोट/तहसीलदार पुरोला।
2- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट।
3- अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, पुरोला।

प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
25/8/2020